

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29102025-267241
SG-DL-E-29102025-267241असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 296
No. 321]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947	[N. C. T. D. No. 296

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2025

F. No. 1/367/DGE/2020/1335.—दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (निर्वाचकों का पंजीकरण) नियम, 1973 के नियम 3 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के निम्नलिखित 01 उप-निदेशक को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के पद पर, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के 46 गुरुद्वारा वार्डों, जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 3 के तहत स्थापित किये गए हैं, के चुनाव के लिए नई फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने हेतु तत्काल प्रभाव से सहर्ष नियुक्त करते हैं:

Sr. No.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	पद का नाम	विभाग का नाम
1	राजेश मीणा	उप-निदेशक	डी एच एस

नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनविंदर सिंह, निदेशक (गुरुद्वारा चुनाव)

DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS**NOTIFICATION**

Delhi, the 22nd October, 2025

F. No. 1/367/DGE/2020/1335.—In exercise of powers as conferred under Rule 3(1) of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Registration of Electors) Rules, 1973, the Lt. Governor of Delhi is pleased to appoint the following 01 Deputy Director as Electoral Registration Officer of Govt. of NCT of Delhi for preparation of Fresh Photo Electoral Rolls for election of Members in respect of 46 Gurdwara Wards of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee established under Section 3 of Delhi Sikh Gurdwara Act, 1971 with immediate effect:

Sr. No.	Name of ERO/AERO (Sh./Smt.)	Designation	Department
1	Rajesh Meena	Dy. Director	DHS

New Delhi

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANVINDER SINGH, Director (GE)